मेसर्स अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड.....अपीलकर्ता

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य.....उत्तरदाता

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1798)

29 नवम्बर 2019

[मोहन एम. शांतनागौदार, कृष्ण मुरारी जे.जे.]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:

आपराधिक अपील संख्या 2019 का 1798

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, प्रमुख खंडपीठ, जबलपुर, 2018 का आपराधिक विविध मामला संख्या 1003 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.04.2018 से।

सी.यू. सिंह, अनुपम लाल दास, वरिष्ठ अधिवक्ता, अरुण सिवाच, कुणाल चीमा, अनिरुद्ध सिंह, कृष्णु बरुआ, मिस इला शील, अमजिद मकबूल, मिस विदुषी.....अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

पार्थिव के. गोस्वामी, राहुल कौशिक.....उत्तरदाताओं के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति **मोहन एम. शांतनागौदार** के द्वारा दिया गया।

1. अनुमति अनुदत्त की गई।

2. यह अपील विशेष अनुमति द्वारा उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर के फैसले दिनांक 11.04.2018 से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत अपीलकर्ता के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के आवेदन को खारिज कर दिया गया है, जो की विशेष मजिस्ट्रेट (खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम), भोपाल के आदेश दिनांक 01.09.2015 को रद्द करने के लिए दयार की गई थी।

3. इस अपील को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं: अपीलकर्ता 'पैक्ड खाद्य पदार्थ' 'ऑरेंज टैमी शुगरलेस जेली' ("जेली") का विपणनकर्ता था। जेली का निर्माण एक कैशेट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ('निर्माता') द्वारा अलग से किया गया था, जो अपीलकर्ता इकाई से जुड़ा हुआ नहीं है। दिनांक 03.10.2008 को खाद्य निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला-भोपाल, उत्तरदाता संख्या 2 ने वलेचा इंटरप्राइजेज भोपाल का निरीक्षण किया जिसके मालिक दिनेश वलेचा (खुदरा विक्रेता) हैं। उत्तरदाता संख्या 2 ने खुदरा विक्रेता से जेली के तीन कंपनी पैक जार खरीदे, जिनमें से प्रत्येक का वजन 350 ग्राम था और उक्त नमूनों को राज्य खाद्य

परीक्षण प्रयोगशाला ('राज्य प्रयोगशाला') और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण प्रयोजन भोपाल के पास परीक्षण प्रयोजन हेतु जमा कर दिया गया था। इस स्तर पर, खुदरा विक्रेता अपीलकर्ता/विपणक से वस्तुओं की खरीद के संबंध में कोई रसीद प्रस्तुत करने में विफल रहा और उसने कहा कि वह बाद में उत्तरदाता संख्या 2 के पास रसीद दाखिल करेगा।

स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पत्र दिनांक 26.11.2008 द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 को सूचित किया कि सार्वजनिक विश्लेषक, राज्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट में जेली के नमूने में 'चीनी' पाई गई थी, इसलिए जेली को गलत ब्रांड कर दिया गया। विशेष रूप से, इस पत्र के अनुसार, उत्तरदाता संख्या 2 ने आगे पूछताछ की और खुदरा विक्रेता ने एक रसीद पेश की जिसमें दिखाया गया कि जेली अपीलकर्ता से खरीदी गई थी। उत्तरदाता संख्या 2 ने अपीलकर्ता के प्रबंधक/निदेशक/साझेदार या नामांकित व्यक्ति के संबंध में जानकारी के लिए स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और अपीलकर्ता कंपनी की इंदौर शाखा को एक पत्र भेजा। हालाँकि, जैसा कि उत्तरदाताओं का दावा है, अपीलकर्ता ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और पत्र वापस प्राप्त हो गया। उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा उप निदेशक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और आयुक्त, नगर निगम, इंदौर के कार्यालय से अपीलकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास भी विफल रहे।

नतीजतन, उत्तरदाता संख्या 2 ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 ('1954 अधिनियम') की धारा 2(ix) (छ) और 7(ii) के साथ पठित धारा 16(1)(ए)(ii) के तहत गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ बेचने के अपराध के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भोपाल की न्यायालय में शिकायत दर्ज की। मुकदमे के दौरान, अभियोजन साक्ष्य के समापन के बाद, खुदरा विक्रेता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 315 के तहत बचाव के लिए गवाह के रूप में खुद को प्रस्तुत किया। इसके बाद 26.8.2014 को, रिटेलर ने अपीलकर्ता को आरोपी के रूप में शामिल करने के लिए 1954 अधिनियम की धारा 20ए के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसे विशेष मजिस्ट्रेट (खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम), भोपाल ने आदेश दिनांक 01.09.2015 द्वारा अनुमति दी। अपीलकर्ता ने उक्त आदेश को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित फैसले में कहा कि सबसे पहले, 1954 अधिनियम की धारा 7 के तहत आपराधिक मनःस्थिति अपराध का एक घटक नहीं था। इसलिए अपीलकर्ता इस बचाव का लाभ नहीं उठा सके कि चूंकि वे केवल जेली के विपणनकर्ता थे, इसलिए उन्हें इसकी सामग्री के बारे में जानकारी नहीं थी। दूसरे, अपीलकर्ता 1954 अधिनियम की धारा 13(2) के तहत केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला ('केंद्रीय प्रयोगशाला') द्वारा नमूने का पुनः परीक्षण कराने के अधिकार का लाभ नहीं उठा सकता था क्योंकि यह केवल 'मिलावटी' खाद्य वस्तु के विक्रेता के लिए उपलब्ध था न कि 'गलत ब्रांड वाली' के विक्रेता के लिए। इसलिए उक्त अधिकार से इनकार करने से अपीलकर्ता के खिलाफ मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

तीसरा, अपीलकर्ता को सह आरोपी के रूप में पेश करने में 5 साल की देरी भी घातक नहीं होगी क्योंकि उत्तरदाता संख्या 2 ने अपीलकर्ता से संपर्क करने के सर्वोत्तम प्रयास किए थे, और शिकायत दर्ज करने में देरी से बचने के लिए अपीलकर्ता का नाम शायद छोड़ दिया गया था। अंत में, धारा 20ए के तहत आवेदन विचारणीय था क्योंकि अभियोजन पक्ष सहित किसी भी पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय संतुष्ट हो सकती है और कि खाद्य पदार्थ का वितरक/डीलर भी अपराध से संबंधित है और ऐसे किसी भी मामले में साक्ष्य को केवल आवेदक द्वारा ही प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक/रिटेलर ने पक्षकार बनाए जाने से पहले अपना साक्ष्य दिया था। इसलिए उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने और 01.09.2015 के अभियोग आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, इस न्यायालय ने इस अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सीयू सिंह ने तर्क दिया कि धारा 20ए के तहत पक्षकार बनाने के लिए आवेदन शुरू में ही विचारणीय नहीं था क्योंकि ऐसा आवेदन केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो खाद्य वस्तु का 'निर्माता, वितरक या डीलर' नहीं है और खुदरा विक्रेता को 'निर्माता, वितरक या डीलर' वाक्यांश में शामिल किया जायेगा। किसी भी मामले में, 1954 अधिनियम के साथ-साथ बीज अधिनियम, 1966 और कीटनाशक अधिनियम, 1968 जैसे समान कानूनों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृखंला के रूप में, जहां एक आरोपी को नमूने का दोबारा परीक्षण देरी के कारण केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा, कराने के उनके वैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इस तरह के इनकार से अपराध का अभियोजन निरर्थक हो जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि 1954 अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अधिकार 'मिलावटी' खाद्य पदार्थों के मामलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 1954 अधिनियम के तहत अन्य अपराधों के लिए नमूनों के परीक्षण पर भी लागू होता है; इसलिए अपीलकर्ता को पक्षकार बनाने का आदेश रद्द किया जाने योग्य है।

इसके अलावा, अपीलकर्ता को पक्षकार बनाने में देरी उत्तरदाताओं की लापरवाही के कारण हुई क्योंकि जेली की पैकेजिंग पर लेबल में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उनका पंजीकृत कार्यालय मुंबई में था, जबकि उत्तरदाताओं के संचार उनकी इंदौर शाखा को संबोधित थे जो कि एक पुराना पता है।

इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 13(2) को पढ़ने से पता चलता है कि इसके तहत उपलब्ध अधिकार केवल 'मिलावटी' खाद्य नमूनों के संबंध में है। जबकि 1954 अधिनियम के अन्य प्रावधानों में, जहां एक प्रावधान गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थों पर अतिरिक्त रूप से लागू होता है, वहां 'मिलावटी' के बाद 'मिसब्रांडेड' शब्द का अलग से उल्लेख किया गया है। इसलिए, केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा पुनः परीक्षण के

दायरे से मिसब्रांडिंग को बाहर करने का विधायी इरादा स्पष्ट है। इसके अलावा, हालांकि जेली पर पैकेजिंग में कहा गया था कि अपीलकर्ता का कार्यालय मुंबई में था, खुदरा विक्रेता द्वारा उत्तरदाता संख्या 2/खाद्य निरीक्षक के समक्ष पेश किए गए खाद्य लाइसेंस से पता चला कि उनका पता इंदौर का था और दंड प्रक्रिया संहिता कि धारा 482 के तहत अपीलकर्ता के आवेदन का कारण शीर्षक, में कहा गया है कि उनका शाखा कार्यालय/विनिर्माण इकाई इंदौर में स्थित है; इसलिए अपीलकर्ता को पक्षकार बनाने में देरी के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी मामले में, अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग संयमित ढंग से किया जाना चाहिए, और अपीलकर्ता के लिए मुकदमे के चरण में अपनी बेगुनाही साबित करना खुला था।

5. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता का यह तर्क कि धारा 20ए के तहत एक खुदरा विक्रेता द्वारा आवेदन नहीं किया जा सकता था, गुमराह करने वाला है। 1954 अधिनियम के प्रावधान किसी खाद्य वस्तु के 'विक्रेता' और 'निर्माता' के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करते हैं। धारा 20ए का उद्देश्य न्यायालय को खाद्य पदार्थ के विक्रेता के मुकदमे के दौरान निर्माता या वितरक को पक्षकार बनाने में सक्षम बनाना है, ताकि आपूर्ति श्रृंखला के सभी चरणों में मिलावट का पता लगाया जा सके और दंडित किया जा सके। माना जाता है कि, **भगवान दास जगदीश चंदर बनाम दिल्ली प्रशासन**, (1975) 1 एससीसी 866 मामले में इस न्यायालय के फैसले के अनुसार, खुदरा विक्रेता और अपीलकर्ता पर एक संयुक्त मुकदमे में मुकदमा चलाने के उद्देश्य से, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना पड़ सकता है कि उनका एक सामान्य उद्देश्य था कि गलत ब्रांड वाली जेली उपभोक्ताओं तक भोजन के रूप में पहुंचनी चाहिए। हालाँकि, हम पाते हैं कि इस प्रश्न को केवल गलत ब्रांडिंग के अपराध के लिए अपीलकर्ता को आरोपित करने के स्तर पर देखने की आवश्यकता नहीं है।

यह ध्यान देने योग्य है कि भगवान दास जगदीश चंदर के मामले में, न्यायमूर्ति एमएच बेग ने अपनी बहुमत राय में अपीलकर्ता वितरक के खिलाफ आरोप को इस आधार पर रद्द करने का निर्देश दिया कि अभियोजन शुरू होने के बाद से लंबे समय बीत जाने के कारण, यह मुश्किल होगा कि अपीलकर्ता सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट की सत्यता को चुनौती देगा। इसलिए हमारे विचार के लिए प्राथमिक मुद्दा यह उठता है कि क्या 1954 अधिनियम की धारा 13(2) के तहत केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा जेली के नमूने का परीक्षण कराने के अधिकार से इनकार करना, 'गलत ब्रांडिंग' के अपराध के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार देगा?

6. इससे पहले कि हम अपील में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ें, 1954 अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ लेना उपयोगी हो सकता है। 1954 अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह बताया गया है कि इसके अधिनियमन से पहले, खाद्य

पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के विषय पर कई राज्य के कानून थे लेकिन इनमें एकरूपता का अभाव था। इसलिए एक केंद्रीय कानून की आवश्यकता महसूस की गई जो अन्य बातों के साथ-साथ एक समान प्रक्रिया और 'एक केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के गठन का प्रावधान कर सके, जिसमें विवादित मामलों में अंतिम राय के लिए खाद्य नमूनों को भेजा जा सके।' 1954 अधिनियम की धारा 8 किसी स्थानीय क्षेत्र में खाद्य नमूनों के विश्लेषण और परीक्षण के उद्देश्य से, जैसा भी मामला हो, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक विश्लेषकों की नियुक्ति का प्रावधान करती है। धारा 9 में अन्य बातों के साथ-साथ उन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने, जहां खाद्य वस्तुओं का निर्माण या बिक्री की जाती है, और उन खाद्य पदार्थों को जब्त करने के लिए जिनके विश्लेषण की आवश्यकता होती है के उद्देश्य से खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है। धारा 14ए खाद्य वस्तुओं के विक्रेताओं को आदेश देती है कि यदि खाद्य निरीक्षक को आवश्यकता हो तो वे उस व्यक्ति का नाम और अन्य विवरण बताएं जिससे खाद्य वस्तु खरीदी गई है।

धारा 11 विश्लेषण के लिए खाद्य नमूने लेते समय खाद्य निरीक्षकों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रक्रिया का पहला चरण तुरंत मौके पर ही सूचित करना है, न केवल विक्रेता, बल्कि उस व्यक्ति को भी, जिसका विवरण धारा 14 ए के तहत प्रकट किया गया है (जिसमें अपीलकर्ता जैसे वितरक/विपणक भी शामिल होंगे), कि एक नमूना विश्लेषण के लिए भेजा जा रहा है। फिर नमूने को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, जबकि पहला भाग सार्वजनिक विश्लेषक को भेजा जाता है, अन्य दो को पहला भाग खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में आकस्मिकता के रूप में स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास जमा किया जाता है।

यह पृष्ठभूमि है कि 1954 अधिनियम की धारा 13 सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद अपनाई जाने वाली आगामी प्रक्रिया निर्धारित करती है:

"(1) सार्वजनिक विश्लेषक, निर्धारित प्रारूप में, विश्लेषण के लिए उसे सौंपे गए किसी भी खाद्य पदार्थ के विश्लेषण के परिणाम की एक रिपोर्ट स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को देगा।

(2) उपधारा (1) के तहत विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त होने पर कि खाद्य पदार्थ मिलावटी है, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण, उन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के बाद, जिनसे खाद्य पदार्थ का नमूना ले लिया गया था और व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसका नाम, पता और अन्य विवरण धारा 14ए के तहत प्रकट किए गए हैं, विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट की एक प्रति, निर्धारित तरीके से अग्रेषित करें। जैसा भी मामला हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि वांछित है, तो उनमें से कोई एक या दोनों स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण द्वारा रखे गए खाद्य पदार्थों के नमूने का केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला

द्वारा विश्लेषण कराने की रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं।

(2 बी) उपधारा (2 ए) के तहत स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण से नमूने के हिस्से या भागों की प्राप्ति पर, न्यायालय पहले यह सुनिश्चित करेगी कि धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (बी) में दिए गए निशान और सील या बन्धन अक्षुण्ण है और हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, जैसा भी मामला हो, के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, और भाग या, जैसा भी मामला हो, नमूने के हिस्सों में से एक को अपनी मुहर के तहत केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, निदेशक को भेज दें, जो विश्लेषण के परिणाम को निर्दिष्ट करते हुए नमूने के भाग की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर निर्धारित प्रपत्र में न्यायालय को एक प्रमाण पत्र भेजेगी।

(3) उपधारा (2 बी) के तहत केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपधारा (1) के तहत सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा दी गई रिपोर्ट का स्थान लेगा"।

इसलिए धारा 13 का उद्देश्य आरोपी व्यक्तियों को, जिनके खिलाफ सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर 1954 अधिनियम के तहत अभियोजन शुरू किया गया है, संबंधित खाद्य नमूने को केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा फिर से परीक्षण कराने का दूसरा अवसर देना है। चूंकि केंद्रीय प्रयोगशाला की रिपोर्ट को सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट पर प्राथमिकता दी जाएगी, यह आरोपी व्यक्तियों के लिए आपराधिक कार्यवाही से मुक्ति का दावा करने का एक मूल्यवान अवसर है।

7. उपर्युक्त प्रावधानों से यह देखा जा सकता है कि 1954 अधिनियम की योजना के तहत, अभियुक्त को पूर्व सूचना दी जानी है, जैसा कि धारा 11 के तहत प्रदान किया गया है, कि उनके द्वारा निर्मित और/या बेची गई खाद्य सामग्री के नमूने विश्लेषण के लिए, सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले भेजे गए हैं। 1954 का अधिनियम वर्तमान मामले जैसी स्थिति की परिकल्पना नहीं करता है जहां नमूना विश्लेषण के लिए भेजा जाता है, और सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट भी तैयार की जाती है, लेकिन विपणनकर्ता को कई वर्षों बाद सूचित किया जाता है कि उनके खिलाफ अभियोजन शुरू करने की मांग की गई है। ऐसी अवधि के दौरान, खाद्य पदार्थ प्रकृति में खराब होने के कारण संभवतः केंद्रीय प्रयोगशाला में पुनः परीक्षण के लिए भेजे जाने में असमर्थ होंगे।

इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा **दिल्ली नगर निगम बनाम घीसा राम**, एआईआर 1967 एससी 970 में यह तय किया गया है कि जहां अभियोजन शुरू करने में अत्यधिक देरी के परिणामस्वरूप धारा 13(2) के तहत अधिकार से वंचित कर दिया गया है, यह माना जाता है अभियुक्तों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर उनकी दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सका। **गिरीशभाई दहयाभाई शाह बनाम सीसी जानी**, (2009) 15 एससीसी 64 में, इस न्यायालय ने पुष्टि की कि आरोपी को सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट भेजने में देरी हुई, जिससे वह धारा 13 के तहत पुन: परीक्षण के लिए आवेदन करने की

स्थिति में नहीं है इसलिए उसे 1954 अधिनियम के (2) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार होगा। हालाँकि, उपर्युक्त निर्णय सरल मिलावट के अपराध से संबंधित थे और अन्य अपराधों से जुड़े मामलों में धारा 13(2) के गैर-अनुपालन के परिणाम के सवाल को नहीं छूते थे।

हालाँकि, 1954 अधिनियम की धारा 2(ia) जो 'मिलावटी' को परिभाषित करती है और धारा 2(ix) जो 'गलतब्रांडेड' को परिभाषित करती है, की तुलना करने पर, हम पाते हैं कि दोनों प्रावधानों के बीच एक ओवरलैप है। धारा 2(ia)(a) में 'मिलावटी खाद्य पदार्थ' की परिभाषा में वह मामला शामिल है जहां कोई खाद्य वस्तु 'उस प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता की नहीं है जैसा कि वह कथित या दर्शाया गया है।' जबकि धारा 2(i)(ix)(g) में 'मिसब्रांडेड' की परिभाषा में निम्नलिखित शामिल हैं:

"यदि पैकेज में यह शामिल है, या पैकेज पर लेबल में सामग्री या उसमें मौजूद पदार्थों के बारे में कोई कथन, डिज़ाइन या उपकरण है, जो किसी भी सामग्री विशेष में गलत या भ्रामक है; या यदि पैकेज अपनी सामग्री के संबंध में अन्यथा भ्रामक है।" इसलिए उदाहरण के लिए, ऐसे मामलों में जहां यह पाया जाता है कि किसी खाद्य वस्तु में एक अतिरिक्त घटक होता है जिसका विज्ञापन उसकी पैकेजिंग पर नहीं किया जाता है, या इसके विपरीत, जहां एक खाद्य वस्तु में एक घटक गायब पाया जाता है जिसे सामग्री में शामिल किया जाना चाहिए लेख की लेबलिंग/पैकेजिंग में; या जहां खाद्य पदार्थ में निम्न गुणवत्ता वाले विकल्प का उपयोग किया गया है, लेकिन लेबलिंग में बेहतर गुणवत्ता वाले मूल घटक का उपयोग करने का दावा किया गया है, यह मिलावट और गलत ब्रांडिंग दोनों का मामला होगा"।

यह उदाहरणों की एक विस्तृत सूची नहीं है, लेकिन यह कहना पर्याप्त है कि कुछ स्थितियों में, 'गलत ब्रांडिंग' के अपराध को साबित करने के उद्देश्य से भी, 1954 अधिनियम के, धारा 11-13 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लेख के नमूने लेने होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे मामलों में यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होगा कि निर्माता, विपणनकर्ता या विक्रेता ने खाद्य पदार्थ पर भ्रामक लेबल/पैकेज लगाया है या नहीं, बिना यह पता लगाए कि क्या इसकी सामग्री में कोई मिलावट हुई है या नहीं।

8. ऐसे में सवाल यह उठता है कि उन मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है जहां 'गलत ब्रांडिंग' साबित करने के लिए संबंधित खाद्य नमूनों के परीक्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन 'मिलावट' का संबंधित आरोप नहीं लगाया गया है? धारा 13(2) दुर्भाग्य से इस संबंध में मौन है। वैधानिक व्याख्या का यह स्थापित सिद्धांत है कि दंडात्मक क़ानून में किसी भी अस्पष्टता की व्याख्या अभियुक्त के पक्ष में की जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष के लिए यह बेतुका और भेदभावपूर्ण होगा कि एक तरफ, 'गलत ब्रांडिंग' के अपराध को साबित करने के लिए धारा 13(1) के तहत सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट पर भरोसा करें, और दूसरी तरफ, यह दावा करें

कि धारा 13(2) और 13(3) के अनुसार उक्त रिपोर्ट को चुनौती देने के अधिकार का आरोपी लाभ नहीं उठा सकता है क्योंकि यह 'मिलावट' का मामला नहीं है। ऐसे परिदृश्य में, धारा 13(2) में 'मिलावटी' शब्द को 'गलत ब्रांडेड' सहित पढ़ा जाना चाहिए, जहां तक यह खाद्य सामग्री की सामग्री से संबंधित है, और धारा 13 के प्रासंगिक खंडों को शामिल करना होगा ताकि उनका पूर्णतः अनुपालन किया जाए।

इसलिए हमारी सुविचारित राय है कि जहां खाद्य पदार्थ की सामग्री/अवयवों की जांच 'गलतब्रांडिंग' अपराध को साबित करने के लिए अभिन्न अंग है, वहां 1954 अधिनियम की धारा 11-13 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए, भले ही 'मिलावट' का आरोप है या नहीं। इसमें धारा 13(2) के तहत केंद्रीय प्रयोगशाला से दूसरी राय प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। यही परीक्षण किसी अन्य अपराध के संबंध में भी लागू होगा जिसके लिए 1954 अधिनियम के तहत जुर्माना निर्धारित है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि अपराध साबित करने के लिए खाद्य पदार्थ के नमूने की आवश्यकता नहीं है तो यह नियम लागू नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि धारा 2(ix)(h) के तहत अपराध 'किसी वस्तु के निर्माता या निर्माता के रूप में किसी काल्पनिक व्यक्ति या कंपनी का नाम रखना' है, तो खाद्य वस्तु की सामग्री का विश्लेषण करना आवश्यक नहीं हो सकता है। अपराध को तब तक साबित नहीं माना जायेगा जब तक अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम न हो जाए कि वास्तविक निर्माता ने धोखे से अपनी पहचान छिपा ली है।

9. उपरोक्त परीक्षण को वर्तमान मामले में लागू करते हुए, यह देखना होगा कि क्या पहले, अपीलकर्ता धारा 13(2) के तहत केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा जेली के परीक्षण के लिए आवेदन करने का हकदार था; दूसरा, क्या अधिकार से इनकार करना उत्तरदाताओं की गलती थी और तीसरा, क्या ऐसा इनकार अपीलकर्ता के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। पहले बिंदु के संबंध में, उत्तरदाताओं ने सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट पर भरोसा किया है जिसमें कहा गया है कि जेली में 'चीनी/सुक्रोज' है, ताकि 1954 अधिनियम की धारा 2(ix)(जी) के तहत गलत ब्रांडिंग के लिए शिकायत दर्ज की जा सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि पैकेजिंग पर लेबल का दावा है कि जेली 'चीनी रहित' है। इसलिए, सार्वजनिक विश्लेषक का यह निष्कर्ष कि क्या जेली के नमूने में एक घटक के रूप में 'चीनी' मौजूद है, अपीलकर्ता के खिलाफ 'गलतब्रांडिंग' के अपराध को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, अपीलकर्ता को जेली नमूने की सामग्री पर केंद्रीय प्रयोगशाला से दूसरी राय के लिए धारा 13(2) के तहत आवेदन करने का अवसर मिलना चाहिए था।

दूसरे बिंदु के संबंध में, हमारा मानना है कि उत्तरदाता संख्या 2 ने पहली बार में खुदरा विक्रेता से जेली के विपणनकर्ता के बारे में पूछताछ नहीं करने में गलती की, क्योंकि उसे 1954

की धारा 14ए के तहत ऐसा कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया था। यदि उसने ऐसा किया होता तो अपीलकर्ता को 2008 में ही सूचित किया जा सकता था कि जेली को विश्लेषण के लिए ले जाया जा रहा है। भले ही इस चूक को माफ कर दिया जाए, एक बार खुदरा विक्रेता ने उत्तरदाताओं को सूचित कर दिया था कि अपीलकर्ता जेली का विपणनकर्ता था, तो उन्हें धारा 13(2) के अनुसार, जेली के नमूने में पाई गई कथित अनियमितता के बारे में अपीलकर्ता को सूचित करने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए थे। हमें उत्तरदाताओं की इस दलील में दम नहीं लगता कि अपीलकर्ता को सूचित करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि अपीलकर्ता जानबूझकर नोटिस की सेवा से बच रहा था। भले ही खुदरा विक्रेता द्वारा प्रस्तुत पता अपीलकर्ता की इंदौर शाखा का था, जेली की पैकेजिंग पर लेबल ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि संचार के लिए आधिकारिक पता "अल्केम हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013" होगा। इसलिए भले ही इंदौर शाखा से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही हो, उत्तरदाता सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट का विवरण अपीलकर्ता के मुंबई पते पर भेजने का प्रयास कर सकते थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं की लापरवाही के कारण अपीलकर्ता ने धारा 13(2) के तहत जेली के नमूने का दोबारा परीक्षण कराने का मौका खो दिया।

अंत में, तीसरे बिंदु के संबंध में, यह सच है कि धारा 13(2) का अनुपालन न करना हर मामले में के लिए घातक नहीं होगा, यदि यह पाया जाता है कि नमूना अभी भी विश्लेषण के लिए उपयुक्त है **(टीवी उस्मान बनाम खाद्य निरीक्षक, टेलिचेरी नगर पालिका, टेलिचेरी),** (1994) 1 एससीसी 754 । हालाँकि, उत्तरदाताओं ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि जेली नमूने का निधानी आयु, पूरी संभावना है, इस समय तक समाप्त हो गयी होगी। इसलिए हम पाते हैं कि धारा 13(2) के तहत अपीलकर्ता को उनके मूल्यवान अधिकार से वंचित करने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है।

10. अपील की अनुमति दी जाती है, और दिनांक 11.04.2018 के आक्षेपित निर्णय और दिनांक 01.09.2015 के अभियोग आदेश को उपरोक्त शर्तों में रद्द कर दिया जाता है।

अपील स्वीकृत

रवि शंकर पांडे द्वारा